स्मृति पत्र

1) संस्था का नाम : सारस संरक्षण समिति (सारस प्रोटेक्शन सोसाइटी)

2) संस्था का पता : कार्यालय मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ।

3) संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

4) संस्था के उद्देश्य :

1. उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन नामक पक्षी की पारिस्थितिकी का अध्ययन करना।
2. सारस क्रेन के जीव विज्ञान, प्राकृतवास प्रबन्धन एवं इसके संरक्षण के मानवीय पहलुओं का अध्ययन व शोध करना।
3. सारस क्रेन के प्राकृतवास एवं आर्द्र भूमियों (wetlands) के पारस्परिक सम्बन्धों का अध्ययन करना।
4. उत्तर प्रदेश में सारस क्रेन की संख्या के रूझान का पता लगाना, इसके अस्तित्व के खतरों को चिन्हित करना तथा ऐसी आर्द्र भूमियाँ (wetlands) जो इनको आश्रय देती हैं, की स्थितियों को विस्तृत अध्ययन की परिधि में लाना।
5. सारस क्रेन एवं इनके प्राकृतवास को सुरक्षित करने के लिए कार्ययोजना तैयार करना व इसे कार्यान्वित करना या किसी सक्षम संस्था/संस्थाओं द्वारा इसे क्रियान्वित करवाना।
6. उत्तर प्रदेश के चयनित अध्ययन क्षेत्रों में स्थानीय समुदायों की सहभागिता एवं सहयोग से सारस क्रेन के संरक्षण की सम्भावनाओं का अध्ययन करना।
7. सारस क्रेन के जीव विज्ञान एवं प्राकृतवास पर शोध एवं प्रशिक्षण के दृष्टिकोण से चयनित शैक्षणिक संस्थाओं एवं शोध संस्थानों से पारस्परिक सहयोग के आधार पर आवश्यक सुविधाएं विकसित करना।
8. सारस क्रेन के प्राकृतवास प्रबन्धन पर किये जाने वाले व्यवहारिक एवं उपयोगी शोध को प्रोत्साहित करना ।
9. ऐसी शोध योजनाओं में सहयोग देना, जो सारस क्रेन के प्राकृतिक

ईकोसिस्टम व पर्यावरणीय कारकों का अध्ययन करते हों।

10. उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यकतानुसार विशिष्ट केन्द्रों, फील्ड स्टेशनों एवं प्रयोगशालाओं को स्थापित करना।
11. एक डाटा बैंक की स्थापना करना, जो सारस क्रेन की पारिस्थितिकी के बारे में प्रदेशों, संघीय क्षेत्रों एवं भारत सरकार से नेटवर्किंग के आधार पर आंकड़ों का आदान–प्रदान कर सके।
12. परामर्शदाती सेवा (कन्सलटेंसी सर्विस) को विकसित करना तथा आवश्यकता के आधार पर सारस क्रेन के प्राकृतवास प्रबन्धन सम्बन्धी परामर्शों और सुझावों को प्रदेश सरकार, भारत सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों और निजी उपक्रमों को प्रेषित करना।
13. 'समिति' के नियमों तथा उप नियमों के अधीन शोध सहायता, फैलोशिप, स्कॉलरशिप, पुरस्कार, सम्मान एवं मेडल्स प्रदान करना।
14. 'समिति' के उद्देश्यों या अन्य प्रयोजनों की पूर्ति हेतु धनराशि स्वीकार करना, एकत्रित करना या विकसित करना; ऐसी किसी भी धनराशि को राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करना या आवश्यकतानुसार निवेश करना।
15. उत्तर प्रदेश सरकार से आवश्यकतानुसार 'समिति' के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दिशा निर्देश व वित्तीय सहायता प्राप्त करना।

5) प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं संस्थापक सदस्यों के नाम, पता, पद एवं व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौंपा गया है :–

क्र.	नाम व पता	पद	व्यवसाय
1	2	3	4
1.	प्रमुख सचिव, वन, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष	शासकीय सेवा
2.	प्रमुख सचिव / सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य	शासकीय सेवा
3.	प्रमुख सचिव / सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य	शासकीय सेवा
4.	प्रमुख वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश	सदस्य	शासकीय सेवा
5.	मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव एवं कोषाध्यक्ष	शासकीय सेवा
6.	प्रमुख सचिव / सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य	शासकीय सेवा
7.	प्रमुख सचिव / सचिव, सिंचाई, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य	शासकीय सेवा
8.	प्रमुख सचिव / सचिव, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश शासन	सदस्य	शासकीय सेवा

9.	निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान चन्द्रबनी, देहरादून	सदस्य	स्वायत्तशासी संस्था
10.	नामित व्यक्ति द्वारा,बाम्बे नेचुरल हिस्ट्री , सोसायटी, हार्नबिल हाऊस शहीद भगत सिंह रोड, मुम्बई	सदस्य	गैरसरकारी संस्था की सेवा में
11.	नामित व्यक्ति, इण्टरनेशनल क्रेन फाउन्डेशन इण्डिया रीजन, नई दिल्ली	सदस्य	गैरसरकारी संस्था की सेवा में
12.	महासचिव, विश्व प्रकृति निधि – भारत	सदस्य	गैरसरकारी संस्था की सेवा में

6) हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता घोषित करते हैं कि हमने इस स्मृति–पत्र एवं संलग्न नियमावली के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक समिति का गठन किया है।

हस्ताक्षर
सभी संस्थापक सदस्य/
सभी समिति के सदस्य